HRA Sazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06082024-256090 CG-DL-W-06082024-256090

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 16|

नई दिल्ली, जुलाई 28-अगस्त 3, 2024, शनिवार/ श्रावण 6-श्रावण 12, 1946

No. 16]

NEW DELHI, JULY 28— AUGUST 3, 2024, SATURDAY/ SHRAVANA 6— SHRAVANA 12, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2024

का.नि.आ. 42.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग, के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

रक्षा लेखा नियंत्रक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र ,1- करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002

[फा. सं. 1(3)/2024-रक्षा (रा.भा.-1)] मनीष त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

1.

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2024

S.R.O. 42—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Ministry of Defence, D/o Defence more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:-

1. Controller of Defence Accounts, Regional Training Centre, 1-Cariappa Road, Lucknow Cantt.-226002

[F. No 1(3)/2024-D(OL-1)]

MANISH TRIPATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2024

का.नि.आ. 43.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय, सैन्य कार्य विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

1. पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र पिन-900493 मार्फत 56 एपीओ

[फा. सं. 1(2)/2024-रक्षा (रा.भा. -1)]

अनिल कुमार छापोलिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2024

S.R.O. 43—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Ministry of Defence, D/o Military Affairs more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:-

1. Parachute Regiment Trg. Centre PIN 900493 c/o 56 APO

[F. No 1(2)/2024-D(OL-1)] ANIL KUMAR CHHAPOLIA, Jt. Secy.

(वित्त प्रभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2024

का.नि.आ. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2022, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2022, की अनुसूची में, -
- (क) स्तम्भ (10) के खंड (iii) में "और स्नातक बहु कार्य कर्मचारीवृन्द" शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (ख) स्तम्भ (11), के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

"10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा उन स्नातक लिपिकों-सह-टंककों में से, जो लेखापरीक्षक के पद के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लिपिक-सह-टंकक संवर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और जिनकी धारित पद पर पृष्टि कर दी गई है।"

[फा. सं. एफ.9(1)/सी/2023]

वेद वीर आर्या, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण :- मूल नियम तारीख 10 जून, 2023 को भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 4 में, का.नि.आ. संख्यक 74 द्वारा तारीख 30 मई, 2023 को प्रकाशित किए गए थे।

(FINANCE DIVISION) NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2024

- S.R.O. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2022, namely:-
- Short title and Commencement .- (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment (Amendment) Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2022, in the Schedule, -
- (a) in column (10) in clause (iii), the words "and Graduate Multi Tasking Staff" shall be omitted;
- (b) in column (11), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-
 - " (ii) 10% by promotion from amongst Graduate Clerks-cum-Typists having a minimum of three years of service in the clerk-cum-typist cadre who have been confirmed in the post held, on passing the Departmental Examination by them for the post of Auditor."

[F. No. F. 9(1)/C/2023]

VED VEER ARYA, Jt. Secy. And Add. Financial Advisor

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India ,Part-II, section 4 dated 10th June, 2023 vide S.R.O. No. 74 dated 30th May, 2023.